फा.सं. ई-11011/1/2018-हिन्दी

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसंबर, 2018

सेवा में

1. अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा
2. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा
3. महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
4. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुंबई
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, विशाखापट्टणम
8. सदस्य (वित्त), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई
9. आयुक्त, नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
10. अध्यक्ष/प्रभारी, कोलकाता/पारादीप/विशाखापट्टणम/चेन्नई/तूतीकोरिन/कोचीन/नवमंगलूर/मुरगांव/जेएनपीटी/मुंबई/दीनदयाल पत्तन न्यास
11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कामराजार पत्तन न्यास, चेन्नई
12. रजिस्ट्रार, आईएमयू, चेन्नई
13. अध्यक्ष, भारतीय पत्तन संघ, नई दिल्ली

विषयः **'भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन तथा इन्हीं विषयों पर अन्य भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को प्रोत्साहित करने के लिए **'भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना'** के नाम से एक योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन द्विभाषी में जारी किया गया है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय में प्रविष्टियां प्राप्त होने की **अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019** है।

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से अनुरोध है कि आप इस योजना को अपने कार्यालय की वेबसाइट पर 31 मार्च, 2019 तक अपलोड करवा दे और यदि आपके कार्यालय से कोई गृह पत्रिका जारी की जाती है तो उसके आगामी अंक में इस योजना को भी शामिल किया जाए। यह भी अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि कोई हो) में भी इस योजना को परिचालित करने के संबंध में आवश्यक निदेश दें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(सुनील कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-23717731
ई-मेल : sunil.kr98@gov.in

सं. सा.प्र.वि./एचसी/6ज-2/ 39

प्रतिलिपि : **सभी विभाग प्रमुख**

सभी प्रभाग प्रमुख

. . . को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन संबंधी उक्त योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित. इसे सूचना फलकों पर भी प्रदर्शित किया जाय. मंत्रालय द्वारा जारी उक्त कार्यालय ज्ञापन मुं.पो.ट्र. की वेबसाइट एवं इंट्रानेट पर विभाग (Department) के अन्तर्गत हिन्दी कक्ष (Hindi Cell) लिंक पर भी उपलब्ध है.

मं पारकर

(मंदार पारकर)
उप सचिव एवं हिन्दी अधिकारी(प्र.)

संलग्न : यथोक्त.
दि. 01 जनवरी 2019

फा.सं. ई-11011/1/2018-हिन्दी

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 'भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' के अंतर्गत प्रविष्टियों को आमंत्रित करना।

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन तथा इन्हीं विषयों पर अन्य भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस पुरस्कार योजना का नाम 'भारतीय पत्तनों और नौवहन संबंधी विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों और अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना' है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित दो श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

(क) भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए।

(ख) भारतीय पत्तनों तथा नौवहन संबंधी विषयों पर अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुदित पुस्तकों के लिए।

2. **पुरस्कार**

इस योजना के अंतर्गत दोनों श्रेणियों के लिए निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
1. मूल रूप से हिंदी मे लिखी गई पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	1,00,000/- रुपए	70,000/- रुपए	50,000/-रुपए
2. अन्य भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार राशि	50,000/-रुपए	40,000/- रुपए	30,000/- रुपए

3. **पात्रता**

इस योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

4. **योजना अवधि**

इस योजना में विगत पांच वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2017-18 (अर्थात 01-04-2013 से 31-03-2018 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत केवल मुद्रित पुस्तकें ही स्वीकार्य होंगी।

5. **सामान्य शर्तें**

(i) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की होनी चाहिए।

(ii) पुस्तक, विषय के बारे में विश्लेषणात्मक समीक्षा होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकें पात्र नहीं होंगी।

(iii) जिस पुस्तक को भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हो, उसे इस योजना के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) इस योजना के अंतर्गत पहले भेजी गई पुस्तक को दोबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(v) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगें और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया-

(i) इस योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों (पुस्तकों) का मूल्यांकन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) पुरस्कारों का निर्णय मंत्रालय के द्वारा गठित मूल्यांकन समिति और पुरस्कार समिति द्वारा किया जाएगा।

(iii) यदि किसी वर्ष के दौरान कोई पुस्तक पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है, तो पुरस्कार समिति पुरस्कार न देने अथवा प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में एक समुचित राशि प्रदान करने का निर्णय ले सकती है।

(iv) पुरस्कार प्रदान किये जाने के बारे में पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा।

7. पुरस्कारों की घोषणा और पुरस्कार वितरण

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा दी जायेगी तथा इसे मंत्रालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(ii) पुरस्कारों की घोषणा के उपरांत मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह/हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

(iii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए पुरस्कार विजेताओं को आने जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। विजेताओं को ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

8. सामान्य सूचना :-

(i) जिस लेखक की पुस्तक को इस योजना में पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, उसका अपनी पुस्तक पर कॉपीराइट बना रहेगा।

(ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के एक से अधिक लेखक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।